न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 96/2022
दावा अन्तर्गत :– धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. हीराराम पुत्र गुमानाराम		1. गुमानाराम पुत्र नैनूराम
2. किलाराम पुत्र गुमानाराम		2. समदा पत्नि गुमानाराम
3. सुखाराम पुत्र गुमानाराम		3. ओमप्रकाश पुत्र गुमानाराम
जाति जाट निवासी केलनसर		4. चन्दाराम पुत्र गुमानाराम
तहसील बाप जिला जोधपुर		5. बाबूराम पुत्र गुमानाराम
		जाति जाट निवासी केलनसर
		तहसील बाप जिला जोधपुर
		6. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
		शाखा घंटियाली
		7. श्रीमान तहसीलदार, बाप
		8. सन्तु पुत्री गुमानाराम
		9. पप्पु पुत्री गुमानाराम
		10. पुखी पुत्री गुमानाराम
		जति जाट निवासी केलनसर
		तह. घंटियाली जिला जोधपुर

सहायक जिलाधिकारी शेरगढ़ (राज.)

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 8 ता 10

निर्णय

दिनांक [illegible]. 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:43 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस[illegible] काश[illegible]री अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि खसरा नम्बर 476 रकबा 16.5878 है[illegible] नम्बर 483 रकबा 0.7203 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 486 रकबा 17.2396 हैक्टेयर सरहद मौजा केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर तथा खसरा नम्बर 518 रकबा 6. 9849 हैक्टेयर सरहद मौजा केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। ग्राम केलनसर में से नया राजस्व ग्राम सुथारानाडा नवसृजित हो जाने से खसरा नम्बर 518 रकबा 6.9849 हैक्टेयर ग्राम सुथारानाडा में स्थित है। उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि में

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

वादीगण का संयुक्त रूप से 3/7 हिस्सा भूमि बंट आता है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के दादा, प्रतिवादी सं. 1 के पिता तथा प्रतिवादिनी सं. 2 के ससुर नेनूराम पुत्र पीरूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जमाबंदी संवत 2075–2078 संलग्न वाद पेश है।

नेनूराम पुत्र पीरूराम फौत हो चुके है जिसके वारिसान निम्न प्रकार से है :–

नेनूराम पुत्र पीरूराम (फौत)
|
गुमानाराम पुत्र नेनूराम

पाऊ देवी पत्नि फौत | सुखराम पुत्र | हीराराम पुत्र | किलाराम पुत्र	समदा पत्नि | चन्दाराम पुत्र | ओमप्रकाश पुत्र | बाबूराम पुत्र

उपरोक्त वंशावली अनुसार नेनूराम के हिस्से की भूमि में नेनूराम के सभी वारिसान वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं. 1, 3 ता 5 का हक व हिस्सा बनता है और इसी अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 के पिता नेनूराम पुत्र पीरूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी और नेनूराम से उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 को पैतृक भूमि होने से जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के प्राप्त हुई है। मुतवफी नेनूराम के फौतेदगी का नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम से भरा जाकर स्वीकृत किया गया है इसलिये उक्त भूमि पैतृक सम्पति है। वादीगण भी नेनूराम पुत्र पीरूराम के वारिसान होने से उक्त भूमि में वादीगण का हिस्सा निहित है और उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक 3/7 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कभी अकेलों का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये वादीगण ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर [illegible] बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 476 रकबा 16.5678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा [illegible] 7203 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 486 रकबा 17.2396 हैक्टेयर तथा ग्राम संथारानाडा पटवार [illegible] केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 518 रकबा 6.9849 हैक्टेयर भूमि [illegible] अपने पैतृक 3/7 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है। उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतिृक सम्पति है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। वादीगण का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके व पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Man
Date: 2024.02.06 14:55
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

वादीगण का संयुक्त रूप से 3/7 हिस्सा भूमि बंट आता है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के दादा, प्रतिवादी सं. 1 के पिता तथा प्रतिवादिनी सं. 2 के ससुर नेनूराम पुत्र पीरूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जमाबंदी संवत 2075–2078 संलग्न वाद पेश है।

नेनूराम पुत्र पीरूराम फौत हो चुके है जिसके वारिसान निम्न प्रकार से है :–

नेनूराम पुत्र पीरूराम (फौत)
|
गुमानाराम पुत्र नेनूराम

पाऊ देवी पत्नि फौत	समदा पत्नि
सुखराम पुत्र	चन्दाराम पुत्र
हीराराम पुत्र	ओमप्रकाश पुत्र
किलाराम पुत्र	बाबूराम पुत्र

उपरोक्त वंशावली अनुसार नेनूराम के हिस्से की भूमि में नेनूराम के सभी वारिसान वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं. 1, 3 ता 5 का हक व हिस्सा बनता है और इसी अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 के पिता नेनूराम पुत्र पीरूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी और नेनूराम से उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 को पैतृक भूमि होने से जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के प्राप्त हुई है। मुतवफी नेनूराम के फौतेदगी का नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम से भरा जाकर स्वीकृत किया गया है इसलिये उक्त भूमि पैतृक सम्पति है। वादीगण भी नेनूराम पुत्र पीरूराम के वारिसान होने से उक्त भूमि में वादीगण का हिस्सा निहित है और उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक 3/7 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कभी अकेलों का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये वादीगण ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर त[illegible] बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 476 रकबा 16.5678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.7203 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 486 रकबा 17.2396 हैक्टेयर तथा ग्राम सुथारानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 518 रकबा 6.9849 हैक्टेयर भूमि [illegible] अपने पैतृक 3/7 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है। उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतिृक सम्पति है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। वादीगण का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके व पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे

सहायक कलेक्टर बाप (जोधपुर)

Signature Not Ver
Digitally signed by Ma
Date: 2024.02.06 14:
Reason: SelfAttested

है। **प्रतिवादी सं. 1 ने पहली शादी पाऊ देवी के साथ की जिससे जायन्दा संतान वादीगण है लेकिन प्रतिवादी सं. 1 की पहली पत्नि के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी दूसरी शादी प्रतिवादिनी सं. 2 के साथ की जिसकी जायन्दा संताने प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 है।** लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त सम्पूर्ण अपने अकेले नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर अपने हिस्से से अधिक खसरा नम्बर 486 रकबा 17.2396 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि जरिये पंजीबद्ध बख्सीशनामा के प्रतिवादी सं. 2 को बख्सीश करदी है जो बख्सीशनामा शुरू से ही वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शुन्य एवं बेअसर है इसलिये वादीगण उक्त पैतृक भूमि ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 486 रकबा 17.2396 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में हिस्से से अधिक किये गये बख्सीशनामा को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर अपने पैतृक 3/7 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 8 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सख्या 8 ता 10 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में अपने पैतृक हिस्से को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक में त्याग दिया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निम्नानुसार है–

ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 476 रकबा 16.5678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 486 रकबा 17.2396 हैक्टेयर व ग्राम सुथारानाडा के खसरा नम्बर 518 रकबा 6.9849 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक भूमि होने से जरिये विरासत नामान्तरण के प्राप्त हुई है। उक्त भूमि को लेकर के बाद विचाराधीन है। उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 5 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा बनता है इसी अनुसार ही हम मौके पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 486 17.2396 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि दिनांक 08.03.2022 के बख्सीश कर दी थी जो बख्सीशनामा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से अधिक किया गया था जो वादीगण [illegible] खातदेारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य व बेअसर है। वर्तमान में [illegible] 5 के मध्य लोक अदालत की भावना में और गांव के [illegible] पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। उक्त राजीनामा अनुसार बख्सीशनामा से प्रतिवादी संख्या 2 को भूमि नहीं दी गयी है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा रखा गया है और इसी अनुसार राजीनामा तस्दीक किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:43 IS
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने राजीनामा पेश कर घोषणा बाबत सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि बख्शीशनामा दिनांक 08.03.2022 को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है, ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप के खसरा नम्बर 486 रकबा 16.5678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 17.2396 हैक्टेयर एंव ग्राम सुथारानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप के खसरा नम्बर 518 रकबा 6.9849 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहेगा। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम हो। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature No
Digitally signed b
Date: 2024.02.06
Reason: SelfAtte

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

वादीगण

1. हीराराम पुत्र गुमानाराम
2. किलाराम पुत्र गुमानाराम
3. सुखाराम पुत्र गुमानाराम

जाति जाट निवासी केलनसर
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गुमानाराम पुत्र नैनूराम
2. समदा पत्नि गुमानाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र गुमानाराम
4. चन्दाराम पुत्र गुमानाराम
5. बाबूराम पुत्र गुमानाराम
   जाति जाट निवासी केलनसर
   तहसील बाप जिला जोधपुर
6. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
   शाखा घंटियाली
7. श्रीमान तहसीलदार, बाप
8. सन्तु पुत्री गुमानाराम
9. पप्पु पुत्री गुमानाराम
10. पुखी पुत्री गुमानाराम
    जाति जाट निवासी केलनसर
    तह. घंटियाली जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए आर.टी.एक्ट **मुकदमा संख्या :– 96/2022**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 8 ता 10 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि बख्सीशनामा दिनांक 08.03.2022 को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है, ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप के खसरा नम्बर 486 रकबा 16.5678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 17.2396 हैक्टेयर एंव ग्राम सुथारानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप के खसरा नम्बर 518 रकबा 6.9849 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहेगा। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम हो। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक — बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2022 को जारी की गई।

Signature Not
Digitally signed by
Date: 2024.02.06
Reason: SelfAttes

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।